न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11 सन् 2020

श्रीमति सोनी पत्नि श्री रामदेव जाति भील निवासी ग्राम भूखरखेडा (शिखरानी) तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज0

————प्रार्थीया

बनाम

राजस्थान सरकार जरिए भू–धारक एवं लैण्ड हौल्डर श्रीमान तहसीलदार महोदय बिजयनगर जिला अजमेर।

————अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

आदेश दिनांक 10.03.2021

संक्षिप्तः प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में कथन किया है, कि मौजा केसरपुरा पटवार हल्का खूंटिया तहसील बिजयनगर में स्थित खसरा नंबर 671/424 रकबा 0.4854 हैक्टयर स्थित है, उक्त भूमि की बतौर खातेदार मालिक स्वामी प्रार्थीया चली आ रही है। उक्त भूमि के आवागमन हेतू रास्ता सरकारी भूमि खसरा नंबर 418 से होता हुआ आगे उत्तर में सरकारी भूमि खसरा नंबर 419 व 422 में पूर्वी हिस्से से होकर जाया जाता है, तथा उक्त रास्ते की भूमि राजस्व रेकार्ड में सरकारी खाते में दर्ज तथा प्रार्थी के खातेदारी खेतो तक आवागमन का कदीमी रास्ता बना हुआ है। जिसका प्रार्थीया उपयोग करती आ रही है एंव मौके पर रास्ता बना हुआ है। इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य किसी भूमि से आवागमन का मार्ग उपलब्ध नही है, प्रार्थी को उक्त भूमि से सुखाधिकार आवागमन अधिकार निहित था तदनुसार उक्त भूमि ऐनकेन निरन्तर उपयोग उपभोग में लिये जाने से प्रार्थीया के पक्ष में सम्पूर्णतया अथवा माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार कुछ भाग में रास्ता उद्घोषित किया जाना न्यायोचित है, तथा प्रार्थीया राजकीय दरो से डी0एल0सी0 भुगतान हेतू सहमत है। प्रार्थीया द्वारा दिनांक 24.9.2019 को हल्का पटवारी से उक्त रास्ता राजस्व रेकार्ड में अंकन करवाने हेतू प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया एंव अप्रार्थी द्वारा न्यायालय आदेश के अभाव में रास्ते का अमल दरामद करने से इन्कार कर दिया इसलिये इस प्रार्थना पत्र की आवश्यकता हुई है, अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है, कि प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि में आने जाने हेतू खसरा नंबर 418, 419 व 422 में से होकर रास्ता जा रहा है, तदनुसार इस खसरा नंबर में रास्ते की तरमीम दर्ज की जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर्ड कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने अपने पत्र कमांक/भू/अ/20/48 दिनांक 06.01.2021 के तहत रिपोर्ट पेश कर कथन किया है, कि भूमि खसरा नंबर 671/424 में जाने का रास्ता उपलब्ध नही है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि में जाने हेतू वर्तमान में सरकारी खसरा नंबर 419 व 422 का उपयोग करता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के लिये मसूदा सडक पर खसरा नंबर 419 व 422 उपयुक्त है। मुख्य सडक से पहुचने के लिये खसरा नंबर 419 व 422 में करीबन रकबा 0.0647 हैक्टयर प्रभावित होगा तथा रकबा असिंचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:18:20 IST
Reason: SelfAttested

प्रकरण में बहस प्रार्थना पत्र सुनी गई। वकील प्रार्थीया ने अपने प्रार्थना पत्र के कथनो को दोहराते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट के अनुसार कथन किये गये।

.....लगातार

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 11 सन् 2020
श्रीमति सोनी बनाम राजस्थान सरकार
// 2 //

मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांत अवलोकन किया गया बाद अवलोकन प्रार्थी ने अपनी खातेदारी की भूमियों में आने जाने हेतू मात्र खसरा नंबर 419 व 422 सरकारी भूमि में रास्ता दिलाये जाने का कथन किया गया। प्रस्तुत दस्तावेज जमाबंदी संवत 2073 से 2076 मे खसरा नंबर 671/424 प्रार्थीया के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। जमाबंदी संवत 2073 से 2076 में खसरा नंबर 419, 422 राज. सरकार के नाम दर्ज चली आ रही है। तथा अप्रार्थी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कथन किया है, कि खसरा नंबर 671/424 में प्रार्थीया का आने जाने का कोई रास्ता विद्यमान नही है। किन्तु तहसीलदार द्धारा जो रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है उसमें प्रार्थीया के आने जाने हेतू रास्ता खसरा नंबर 419 व 422 में होना अंकित किया गया है, ऐसी स्थिति में उक्त दस्तावेजी विवेचन के अनुसार प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा प्रार्थीया की खातेदारी की भूमि मौजा केसरपुरा पटवार हल्का खूंटिया तहसील बिजयनगर खसरा नंबर 671/424 में आने–जाने हेतु रास्ता बाबत खसरा नम्बर 419 व 422 में से रकबा 0.0647 हैक्टयर को सिवायचक आम रास्ता अंकित किये जाने के आदेश पारित किए जाते हैं। प्रार्थीया से नियमानुसार उक्त रकबे की रांशि प्राप्त की जाकर राजकोश में जमा करने के पश्चात् उक्त रास्ते की भूमि को आम रास्ता सिवायचक राजस्व अभिलेखों में अंकित किया जावे तथा राजस्व नक्शा ट्रेस में तरमीम किया जावे। जिस पर समस्त व्यक्ति आने–जाने हेतु उपयोग कर सकेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

आदेश आज दिनांक 10.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी मसूदा
(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2021.04.05 15:18:20 IST
Reason: SelfAttested